



प्रेषक:-  
(राजीव कुमार सुकलीकर)  
प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल (म0प्र0)

अर्धशासकीय क्रमांक- 4214/61/2010

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

जल संसाधन विभाग,

जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,

भोपाल-462003

दूरभाष 2552646,2552878 फ़ैक्स 2552406,

Email ID-encwrdbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 13/04/2018

विषय :- प्रपत्र-206 स्वीकृत करने बावत् ।

कार्यालयीन पत्र क्रं.  
4214/61/2010,  
दिनांक 22.09.2015 एवं  
समसंख्यक पत्र दिनांक  
02.05.2016

प्रिय श्री .....

मैं आपका ध्यान पार्श्व में दर्शाये गये सन्दर्भित पत्रों की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा । जिनके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में रु. 20.00 लाख से अधिक साधारण मरम्मत कार्यों की स्वीकृतियाँ जारी करने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु कतिपय सिविल संभागो तथा वि०/या० संभागो द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृतियाँ प्रदान की जा रही हैं, जो अनुचित हैं ।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष में रु. 20.00 लाख से अधिक साधारण मरम्मत कार्यों की स्वीकृतियाँ जारी करने के पूर्व प्रपत्र-206 में इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृतियाँ जारी करने के पश्चात् ही निविदा आमंत्रण/कार्य सम्पादन की कार्यवाही की जावे । बिना अनुमोदन सम्पादित कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु इस कार्यालय द्वारा आवंटन प्रदान नहीं किया जावेगा, साथ ही निर्देशो का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

शुभ कामनाओ सहित ।

भवदीय

प्रति,

श्री .....

कार्यपालन यंत्री,

.....

.....

Rajiv Kumar Sukliker  
13.04.18  
(राजीव कुमार सुकलीकर)

पृ.क्र. 4214/61/2010

प्रतिलिपि:-

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता .....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(2) बेव मैनेजर, डॉटा सेंटर, जल संसाधन विभाग, भोपाल की विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

भोपाल, दिनांक 13/04/2018

Rajiv Kumar Sukliker  
13.04.18  
(राजीव कुमार सुकलीकर)  
प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल.